उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 30/2019 दावा
दायरा दिनांक :–28.03.2019
निर्णय दिनांक :– 4.4.2019

उनवान

1. सन्तोष कुमारी पुत्री रामचन्द्र बाबर
2. विजय कुमार पुत्र छीतरलाल जाति बाबरिया निवासी छीपाबड़ौद तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 4.4.2019

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0न0 504 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख0 न0 507 रकबा 1.08 बीघा मौजा गुलखेडी में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी में दर्ज हैं एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजीयात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काश्तकारो से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काश्तकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते है इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनाक 27.03.2019 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काश्तकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना कर दिया। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गुलखेडी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 101, नकल जमाबन्दी ग्राम गुलखेडी सम्वत 2073–2076 खाता सख्या 167, नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया। वादी का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की है। पडौसी खातेदारान जबरन मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते है। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काश्तकारों से किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सके।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

28/3/19
विषय

सन्तोषकुमारी

Scanned by CamScanner

वकील वादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गुलखेडी सम्वत 2073--2076 खाता संख्या 101, नकल जमाबन्दी ग्राम गुलखेडी सम्वत 2073--2076 खाता संख्या 167, वादी गण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे दर्ज है। वादी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारों से किसी प्रकार का विवाद नही हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम गुलखेडी तहसील छीपाबडौद के ख0नं0 504 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख0 नं0 507 रकबा 1.08 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद

Scanned by CamScanner